

प.क्षे.-II/ लोक सूचना/2023/108/

दिनांक : 20/03/2023

सेवा में,
श्री पंकज प्रभूभाई सधवारा,
एफ-201, दूसरी मंजिल, रियल औरा,
नए बडियादेव मंदिर के सामने, चांदखेड़ा गांव, अहमदाबाद -382424,
मोबाइल नंबर-9537869484


विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में।

महोदय,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा दिनांक 28.02/2023 को प्रेषित पत्र (रजि.सं.- PGCIL/WRTS-II/2023/108), पावरग्रिड क्षेत्रीय मुख्यालय में दिनांक 02/03//2023 को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी से संबंधित जवाब इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है:-

श्री कृष्ण कुमार टी. आर. (कार्यपालक निदेशक), अपीलीय अधिकारी,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2
प्लॉट नं.-54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड,
वडोदरा – 390 024 (गुजरात).

धन्यवाद सहित,



20/03/2023

(पंकज दलाल)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा


संलग्न : यथोपारि

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे.-II), वडोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.- II
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.- II

श्री पंकज प्रभुभाई सथवारा द्वारा दिनांक 28/02/2023 को भेजे गए आरटीआई (संख्या RTI No. PGCIL/WRTS-II/2023/108) के संदर्भ में मांगी गई जानकारी का संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार है:-

क्र.	आरटीआई अर्जी	आरटीआई का उत्तर
1	<p>आवश्यक जानकारी के मुद्दे</p> <p>ग्राम- दात्रान, तहसील-सांतलपुर, जिला पाटन से संबंधित सर्वे नंबर-500, खाता संख्या-195, सर्वे नंबर-461, खाता संख्या-273, सर्वे नंबर-44, खाता संख्या-149, सर्वे नंबर-503 पैकी, खाता संख्या-107, सर्वे नंबर-503 पैकी 1, खाता संख्या-305, सर्वे नंबर-559, खाता संख्या-437, सर्वे नंबर-547 पैकी, खाता संख्या-437, सर्वे नंबर-501, खाता संख्या-592, सर्वे नंबर-56, खाता संख्या-372, सर्वे नंबर-64, खाता संख्या-455, सर्वे नंबर-546, खाता संख्या-71, सर्वे नंबर-549, खाता संख्या-71</p> <p>ग्राम- बामरोली, तहसील-सांतलपुर, जिला पाटन से संबंधित सर्वे नंबर-79, खाता संख्या-464</p> <p>ग्राम- डालडी, तहसील-सांतलपुर, जिला पाटन से संबंधित सर्वे नंबर-39, खाता संख्या-155</p> <p>ग्राम- रणमलपुरा, तहसील-सांतलपुर, जिला पाटन से संबंधित सर्वे नंबर-228, खाता संख्या-153 तथा</p> <p>ग्राम- बकुत्रा, तहसील-सांतलपुर, जिला पाटन से संबंधित सर्वे नंबर-945, खाता संख्या-380</p> <p>1. उपर्युक्त उल्लेखित सर्वे नंबर तथा खाता संख्या से संबंधित किसानों हेतु आपके द्वारा उपयोगकर्ता अधिकार अधिग्रहण के सम्बन्ध में दिये गये नोटिस की प्रति।</p> <p>2. उपर्युक्त उल्लेखित सर्वे नंबर तथा खाता संख्या से संबंधित किसानों हेतु उपयोगकर्ता अधिकार अधिग्रहण के सम्बन्ध में, फसल, हानि और निर्माण हानि के सम्बन्ध में दिए गए मुआवजा रकम दर्शाती हुई सूची।</p>	<p>आपके द्वारा आरटीआई आवेदन के माध्यम से अर्जी में दी गयी ग्राम- दात्रान, ग्राम- बामरोली, ग्राम- डालडी, ग्राम- रणमलपुरा तथा ग्राम- बकुत्रा से संबंधित अलग-अलग सर्वे नंबर व खाता संख्या जिसमें कुल 16 किसानों से संबंधित उपयोगकर्ता अधिकार अधिग्रहण के सम्बन्ध में तथा मुआवजे से संबंधित विवरण की जानकारी मांगी है।</p> <p>यह देखा गया है कि उल्लेखित सभी सर्वेक्षण संख्या अन्य व्यक्तियों से संबंधित है जिसका आपसे कोई सीधा संबंध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अनुसार अन्य व्यक्तियों की सूचना तभी दी जा सकती है जब यह सूचना व्यापक जनहित में हो, जो कि आपके आवेदन में दिखाई/उल्लेखित नहीं हो रही है।</p> <p>तदनुसार तृतीय पक्ष सूचना होने के कारण आपको इस संबंध में सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है।</p> <p>The applicant through the RTI Application sought information of compensation details pertains to few survey Nos(16 farmers).</p> <p>It is noticed that these survey nos. does not belongs to the applicant and pertains to other persons. As per RTI Act section 8(1) (j), the information of other persons can only be given if there is larger public interest, which is not visible/mentioned in the application. Accordingly the information can not be provided being third party information.</p>


 20/03
 2023

(पंकज दलाल)
 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
 पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा